राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

महानरेगा योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएं–

संभागीय आयुक्त

झालावाड़ 27 मई/ महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना में जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराये और अभावग्रस्त गांवों के लोगों के जॉब कार्ड बनाये जाये।

यह निर्देश संभागीय आयुक्त औंकार सिंह ने बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्राम पंचायतों में एक वर्ष के दौरान होने वाले कार्यों की पहले कार्य योजना बनाये ताकि ग्राम पंचायतों में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराये जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में नरेगा योजना के तहत एक ऐसा कार्य कराये जो पूरे राज्य में एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके।

संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त हो ऐसे प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं उच्च अधिकारियों द्वारा झालावाड़ जिले की यात्रा के दौरान दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए कार्यो को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। संभागीय आयुक्त ने बैठक में पानी, बिजली, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई आदि विभागों के कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने जलदाय और विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय से पेयजल सप्लाई के दौरान बिजली व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दुकानों पर बिकने वाले पानी के पाऊच के सैंम्पल लेने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली रात्रि चौपालों में आमजन से जुडे विभागों के अधिकारी आवश्यक रूप से भाग लें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर खजान सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

————————

राजस्व लोक अदालतों में हुआ 492 प्रकरणों का निस्तारण

झालावाड़ 27 मई/ राजस्व लोक अदालत अभियान " न्याय आपके द्वार " कार्यक्रम में मंगलवार को ग्राम पंचायत सालरिया, ढाबला भोज, गुराडिया झाला, गोलाना में आयोजित राजस्व लोक अदालत के माध्यम से राजस्व संबंधी 492 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि इनमें नामान्तकरण के 188 प्रकरण, खाता दुरस्ती के 90 मामले, खाता विभाजन के 64, पत्थरगढी के 4, गैर खातेदारी से खातेदारी के 4, राजस्व नकल के 85, सीमाज्ञान के 2, इजराय के 15 प्रकरणों सहित धारा 86, 183 ए. आर.टी.एक्ट, स्थायी निषेधाज्ञा, धारा 251 सहित अन्य 40 राजस्व मामलों का निस्तारण कर वर्षो पुराने मामलों का आपसी समझाईश से समाधान किया गया।

————————